

# IAS Mentorship

With Riyasat Ali Sir

## PARAMETERS FOR GS COPY EVALUATION

		VERY GOOD	GOOD	AVERAGE	SUBSTANDARD
1.	Conceptual Clarity on The Topic	✓			
2.	Context of Introduction & Relevance		✓		
3.	Understanding on the demand of Q	✓			
4.	<b>Body Part:</b>				
	Content Relevance		✓		
	Content Enrichment		✓		
	Presentation & Organisation		✓		
	Logical Structure & Coherence		✓		
5.	Language Competence		✓		
6.	Context of Conclusion & Relevance		✓		
7.					
8.					

IAS  
MENTORSHIP  
Riyasat Ali

12. भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के तीव्र प्रसार से संचार, शासन व्यवस्था और सामाजिक संपर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हालाँकि, किशोरों पर अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग के नकारात्मक प्रभाव—जैसे चिंता, अवसाद, साइबरबुलिंग और मिथ्या सूचना की प्राप्ति—को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं। हाल के अध्ययनों और वैश्विक नीति रुझानों ने इन जोखिमों को उजागर किया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिये सख्त आयु-सत्यापन अधिनियम प्रवर्तित किये हैं। भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण, अधिनियम, 2023 जैसे विनियामक ढाँचों के माध्यम से अनुपालन और माता-पिता की सहमति की आवश्यकताएँ पेश की गई हैं, लेकिन प्रवर्तन और गोपनीयता चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

एक संसदीय समिति ने सोशल मीडिया पहुँच के लिये अनिवार्य आयु-सत्यापन और नाबालिगों के लिये समय-सीमा जैसी कड़ी व्यवस्थाओं की सिफारिश की है। नागरिक समाज समूह और अभिभावक किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और ऑनलाइन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के चलते कड़े सुरक्षा उपायों का समर्थन करते हैं। वहीं, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएँ गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती हैं, डेटा का दुरुपयोग हो सकता है और जिन किशोरों के पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है, वे इन प्लेटफॉर्मों से वंचित रह सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों का तर्क है अत्यधिक कड़े नियम डिजिटल नवाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं।

आप इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिसे किशोरों की सोशल मीडिया सुरक्षा के लिये—विभिन्न नैतिक, विधिक और व्यावहारिक पहलुओं का संतुलन रखते हुए—नई नीति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

(250 शब्द) 20

The rapid proliferation of social media platforms in India has transformed communication, governance, and social interaction. However, concerns have grown about the negative impact of excessive social media use on adolescents, including increased anxiety, depression, cyberbullying, and exposure to misinformation. Recent studies and global policy trends highlight these risks, with countries like Australia introducing strict age-verification laws to protect children online. In India, regulatory frameworks such as the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, and the Digital Personal Data Protection Act, 2023, have introduced compliance and parental consent requirements, but enforcement and privacy challenges persist.

A parliamentary committee has recommended stricter measures, including mandatory age verification for social media access and time restrictions for minors. Civil society groups and parents support stronger protections, citing rising cases of mental health issues and online harassment among teenagers. However, digital rights activists warn that such measures could infringe on privacy, lead to data misuse, and exclude marginalized youth who lack access to official identification. Social media companies argue that overly stringent regulations may stifle digital innovation and free expression. You are a senior official in the Ministry of Electronics & Information Technology tasked with drafting a new policy to address adolescent safety on social media while balancing competing ethical, legal, and practical considerations.

(250 words) 20

(a) भारत में किशोरों की सोशल मीडिया पहुँच को विनियमित करने में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाओं की पहचान कर उनकी विवेचना कीजिये।

Identify and discuss the key ethical dilemmas involved in regulating adolescent access to social media in India.


(b) इस संदर्भ में आपके निर्णयन में किन मूल्यों और सिद्धांतों का मार्गदर्शन होना चाहिये?

What values and principles should guide your decision-making in this context?

(c) एक ऐसी संतुलित नीति दृष्टिकोण का सुझाव दीजिये जिससे गोपनीयता या डिजिटल अधिकारों का अनुचित उल्लंघन किये बिना किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण किया जा सके। Suggest a balanced policy approach that addresses adolescent mental health and safety without unduly infringing on privacy or digital rights.

(d) आप नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और हितधारकों की सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे?

अप्रयुक्त केल स्टडी में सोशल  
मीडिया के अपयोग ले नैतिक चिन्तां यथा  
गोपनीयता, लाइबर अपराध, विनियमकीय  
आदि समस्याओं का बिह क्रिया है।



④ सोशल मीडिया प्लूच को विनियमित कले से पूरी नैतिक दुविधा ।

- ① → पारदर्शिता बनाम गोपनीयता :- सूचनाओं को एक पब्लिक जोने में रखा जाए या फिर निजता के लिए गोपनीय रखा जाए ।
- ② सरकारी नियंत्रण बनाम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी अनु. 19(1) :- सोशल व्यवस्था के हित में सरकारी नियंत्रण आवश्यक है अथवा या 19(1) (b) के हिल्ला है।

सभी बिन्दु उचित हैं।

अन्य बिन्दु

मानसिक स्वास्थ्य बनाम डिजिटल साक्षरता

⑤ पूर्णतावाद बनाम नैतिकता सर्व वि मुक्त विश्व को बहावा दिया जाए या नैतिकता के नाम पर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए।

उम्मीदवार को  
हाशिये में नहीं  
चाहिये।  
(Candidate must  
write on this m

# परिणाम निरपेक्षता बनाम परिणाम सापेक्षता

↳ सोशल मीडिया के प्रभाव पर ध्यान दिया जाए या इलाक़ी उपायों पर।

② मार्गदर्शक दृश्य व सिद्धान्त :- बाल हित सर्वोपरि  
- UN convention of the Rights of child से प्रेरित।

↳ ① निजता की सुरक्षा :- जदिल पुट्टलमीयाद

2017 में बह अदुच्छेद य नी दित्सा

② वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा -  
किशोरो को वंचित वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

③ समाजसुखी :- किशोरो तथा लारवा अपराधियों व  
सोशल मीडिया संचालकों की मनोस्थिति  
समझकर नीति निर्माण आवश्यक।

④ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दक्ष उपयोग - मिली भी  
नीति निर्माण की सफलता हेतु आवश्यक।

⑤ वस्तुनिष्ठता :- पूर्णाग्रह ले मुक्त लेकर ऐसी नीति  
का निर्माण जो सभी के हित रहे।

⑥ उपयुक्त नीति व दृष्टिकोण के आयाम :-

① सोशल मीडिया के प्रोत्पादों के स्वविविनियम  
की व्यवस्था (IT विनियम - 2021)

सभी  
विन्दु  
नकसब  
व  
उचित  
हैं।

2. साशल मीडिया उपयोग में 'Right to be forgotten' के सिद्धांत की स्वीकृति।

3. भाष्यक बॉने पर कन्सेंट को हानि की व्यवस्था (DPDP Act 2023)।

4. आयु संबंधित सत्यापन के प्रावधान की अनिवार्यता (ऑनलाइन विधि)। → Tokenized ID  
→ Parental OTP

5. सर्वर अपराध के विरुद्ध कठोर कार्यवाही (IT Act 2008 में धारा 66)।

6. किशोरो में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास (अनुममन)

7. नीति निर्माण में पारदर्शिता, द्वैतधार्मिक और हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उपाय -

सभी  
बिन्दु  
नर्क संगत  
क  
मूल  
दृष्टिकोण  
सराहनीय  
हैं

1. पारदर्शिता :- सोशल मीडिया कंपनियों को  
व्यक्ति के पब्लिक प्रोफाइल से संबंधित जानकारी को  
सुलभ बनाना।

2. स्वतंत्रता तंत्र के कार्यपाली को दक्ष बनाना।

3. जोषीयता तथा सार्वजनिक जीवन के बीच  
आवश्यक संतुलन बनाना।

4. ठिकाणों में सखरिष्ठा संबंधित चेतना का विकास  
करना।

(2) उत्तरदायित्व :- केंद्र-ड्रेकिंग प्रणाली का उपयोग

उदा. अनिश्चित है। (राजस्थान का 'शम काज')।

↳ सूचना का निष्पक्ष पारिषद।

↳ पारदर्शिता व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना।

(3) दिलचस्पी' की संभावना

↳ विषय का शालर स्वीकार करना।

↳ कल्पना कारी नीति निर्माण।

↳ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का दृष्ट उपयोग।

↳ भागीदारी मूलक नीति निर्माण प्रक्रिया।

संतुलित नीति का उद्देश्य केवल प्रतिबंध नहीं बल्कि सुरक्षा + अशक्तिकरण + निजता संरक्षण होना चाहिए।


अमरजनवाद व्यवस्था में SC ने

डिजिटल सुविधाओं तक पहुँच को अनु. 21

को दिलना माना है और कम रूप में शमी

पुरस्का आवश्यक है।

सराहनीय  
व संतुलित  
निष्कर्ष।



Overall, आपका प्रयास सराहनीय है और स्पष्ट है कि आप विषय की समझ रखते हैं। अपने सार्थक प्रयास को जारी रखें।

8/20

All the very best for MAINS 🍀